न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज०
पीठासीन अधिकारी - श्री गंगाधर मीणा R.A.S.

मुकदमा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
01/2021	4.01.2021	26.02.2021

अनुवान

[1] मनीषा देवी पत्नि नरेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी सहदवानपुर, खोल तहसील व जिला रेवाड़ी (हरि०)

-वादिया

बनाम

[1] उदमासिंह पुत्र भगवान सिंह
[2] निर्मला पुत्री भगवान सिंह
[3] पुष्पा कंवर
[4] मीनू पुत्री भगवान सिंह
[5] मीरा पत्नि भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी पुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)
[6] अजयसिंह पुत्र कंवर सिंह जाति राजपूत निवासी पुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)
[7] सुशीला पत्नि राजपाल भारद्वाज जाति ब्राह्मण निवासी दयानतपुर तहसील व जिला गुरुग्राम (हरि०)
[8] राज. सरकार जरिये तहसीलदार [illegible] कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

-प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक मय दुरुस्ती कागजात
अं.धा. 88, 89 राज.काश्त. अधि. 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:37:20 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित -
[1] श्री सुनील यादव अभिभाषक - वादिया
[2] श्री रविन्द्र यादव अभिभाषक - प्रतिवादीगण सं. 1 [illegible]

वादिया ने मय अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

होकर रहना वाद दावा उपरोक्त आशय पुत्री इन्द्रा का उस प्रकार का पेश किया कि विवादित आराजी खाता ख.नं. 636 / 1.8700 हैक्टेयर का 1/6 भाग वाके ग्राम पुर तहसील कोटकासिम को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 5 के मृतक पिता श्री रामावतार सिंह पुत्र मंगर सिंह जाति राजपूत से बाजरिया बयनामा प्रतिफल की राशी अदा कर खरीद किया जो बयनामा उप पंजीयक कोटकासिम के कार्यालय में दिनांक 11.8.2020 को पुस्तक संख्या 1 पृष्ठ सं. 170 पर पंजीबद्ध किया गया। तथा अति. पृष्ठ 248 से 257 पर चस्पा किया गया। विवादित आराजी मिन वादिया की जरिये रजिस्टर्ड बयनामा स्वखरीदशुदा कब्जा काश्त की आराजी है। मौका पर मिन वादिया शांति पूर्वक काबिज व दाखिल होकर काश्त कर रही हूं। मौके पर ऐसा ही कब्जा काश्त है। उक्त आराजी का बयनामा के आधार पर अमल मिन वादिया के हक में पटवारी हल्का द्वारा दर्ज ना करते हुए प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5 के नाम का विरासत का इन्तकाल सहवन से दर्ज कर दिया गया है। पटवारी हल्का से जमाबन्दी लेने पर पता ज्ञात हुआ। उपरोक्त अपने अधिकारों रखकर मिन वादिया बयनामा तस्दीक दिनांक 30.7.20 एवं तस्दीक दिनांक 11.8.20 के आधार पर अपने हक को विवादित आराजी के 1/6 भाग की खातेदार काश्तकार घोषित कराए जाने की अधिकारी है। तथा बाद दुरुस्ती इन्द्राज प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5 के नाम को खारिज कराकर अपने नाम का खातेदारी का अमल दरामद कराने की अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5 ने न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाल जवाब दावा पेश किया। जिसमें अंकित किया कि वाद पत्र स्वीकार है। हमारे मृतक पिता की अपने आराजीयात का विरासत का इन्तकाल दर्ज हमारे हक में करते समय सहवन से विवादित [illegible] की भी इन्तकाल दर्ज कर दिया। बयनामा के आधार पर वादि[illegible] अपने नाम बाद दुरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी [illegible] दरामद कराया जावे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। ओर ना ही कभी होगी।

लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:37:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

विद्वान अधिवक्ता वादिया सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि विवादित आराजी प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5 के मृतक पिता श्री भगवान सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह जाति राजपूत निवासी पुर तहसील कोटकासिम की काबिज काश्त खातेदारी की आराजी है। वाके ग्राम पुर विवादित आराजी खसरा नं. 636/1.8700 है. में मिन वादिया ने 1/4 भाग प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5 के मृतक पिता श्री भगवान सिंह से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया है। मृतक श्री भगवान सिंह की विरासत का इन्तकाल दर्ज करते समय हल्का पटवारी द्वारा मिन वादिया द्वारा हल्का पटवारी को दिये गये बैनामा को दर्ज ना कर त्रुटिवश विवादित खस.नं. को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 5 के नाम दर्ज कर दिया। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5 ने इकबालिया जवाब पेश किया जिसमें कहा कि यह त्रुटिवश से और आराजीयात के साथ दर्ज हो गया है। अगर इसे दुरुस्त किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अतः विवादित आराजी के 1/4 भाग से प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5 का राजस्व रिकार्ड से नाम हटाकर मुताबिक बैनामा मिन वादिया के नाम का अंकन किया जावे। प्रतिवादीगण सं. 6 व 7 से मिन वादिया को कोई सिविल वाद पत्र में नहीं चाही गई है। राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने के कारण पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 व बैनामा का अध्ययन किया गया। वादिया अधिवक्ता का कथन है कि विवादित आराजी जो श्री भगवान सिंह (मृतक) की काबिज काश्त खातेदारी की [illegible] थी जिसमें से 1/4 भाग मृतक श्री भगवान सिंह से [illegible] रजिस्टर्ड बयनामा से खरीद किया था। जो किन्तु हल्का [illegible] बयनामा को इन्द्राज ना दर्ज करते हुए मृतक श्री भगवान की विरासत प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5 के नाम इन्तकाल दर्ज कर दिया। प्रतिवादीगण 1 लगा 5 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब दावा का अध्ययन किया अवलोकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:37:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

जिसमें और आराजीयात को साथ सरवन सिंह रहा होना स्वीकार किया है। दस्तावेज रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 30.7.20 पर इकबाल जमाल राजा एवं प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन एवं वादिया उपरोक्त(1) की बहस से मैं सहमत हूँ। अवलोकित वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादिया का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल ख.नं. 636 रकबा 1.8700 हैक्टेयर वाके ग्राम पुर तहसील कोटकासिम में 1/4 भाग का वादिया को स्वत्वाधिकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 5 का नाम खारिज कर राजस्व रिकार्ड में वादिया के नाम का अंकन किया जावे। इसी अनुसार पत्रावली डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:37:20 IST
Reason: SelfAttested